

3/2025 आवेकता प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा. ग. ज. आवेकता अधिनियम 1956 के तहत पेश किया जिसके बाद जॉन्स दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी आवेकता की कल्प सुनी गई। मुताबिक कल्प आवेकता प्रार्थी के ग्राम काकेलाव परिवार हल्का काकेलाव थू. अ. ग. क्षेत्र काकेलाव तहसील कूडी अजगतासनी के ख. न. 388/1 व 388/3 में प्रार्थी का नाम अजरुद्दीन पुत्र धवरुखा दर्ज कर दिया है जबकि प्रार्थी का नाम मोहम्मद अजरुद्दीन पुत्र धवरुखा दर्ज होना चाहिए।

हमने पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं प्रार्थी आवेकता की कल्प पर मनन किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसील दार कूडी अजगतासनी को आदेशित किया जाता है कि ग्राम काकेलाव के ख. न. 388/1 व 388/3 में प्रार्थी का नाम अजरुद्दीन पुत्र धवरुखा के स्थान पर मोहम्मद अजरुद्दीन पुत्र धवरुखा दर्ज किया जाए। इस कारण की तहसील तहसीलदार कूडी अजगतासनी को जारी की जाए पत्रावली फ़ैसल सुपार पोस्ट दफ्तर घे Prof.